सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{06 चैत्र, 1945 (शo)}}{\text{27 मार्च, 2023 (ईo)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 70

(1) गृह विभाग	..	..	38
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	09
(3) वित्त विभाग	..	..	03
(4) उद्योग विभाग	..	..	04
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	02
(6) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	04
(7) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	06
(8) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	..	..	03
(9) सूचना प्रावैधिकी विभाग	..	..	01
		कुल योग --	70

कार्रवाई करना

*2543. श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर सेतु निर्माण एजेंसी में कार्यरत श्री मुकुल कुमार सिंह, ग्राम + पोस्ट मुजौना, थाना दरियापुर, जिला छपरा की हत्या कर दी गई थी, जिसमें परिजनों द्वारा रूस्तमपुर ओ0 पी0 कांड संख्या 229/22 दर्ज कराई गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांड में नामजद अभियुक्तों की अबतक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और न ही पुलिस किसी बिन्दु पर जाँच कर रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कांड में समुचित कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*2544. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड बोधगया के ग्राम पंचायत, कुरमावां के ग्राम-बरैनी एवं ग्राम-करमाढाब में अभीतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिससे कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-बरैनी और करमाढाब में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा लगाना

*2545. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के श्री खखन मिश्र व झींगुर मंडल की देश की आजादी के लिये 1942 में चलाये जा रहे आन्दोलन में पुलिस की लाठी से घायल हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों स्वतंत्रता सेनानियों की कदवा प्रखंड मुख्यालय में प्रतिमा लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2546. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड गड़हनी के ग्राम-पडरिया के कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, जबकि इसके लिये सीमांकन प्रतिवेदन भेजा जा चुका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*2547. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड गड़हनी के ग्राम-काऊप, सुअरी और सहंगी के कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

'अ'-*2548. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत सासामुसा सुगर मिल विगत दो वर्षों से बंद है, जिससे आम किसानों को गन्ना अन्यत्र जगह बेचने को मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बंद मिल को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आँशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सासामुसा चीनी मिल एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है । चीनी मिल की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण पेराई सत्र 2020-21 में परिचालन के पश्चात् सासामुसा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा इस चीनी मिल का परिचालन बंद कर दिया गया । पेराई सत्र 2014-15 से 2020-21 तक लगभग गन्ना कृषकों का मो0 43.00 करोड़ रुपये बकाया है । बकायों की सूद सहित वसूली हेतु जिला नीलाम-पत्र पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में सत्रवार नीलाम-पत्र वाद दायर किया गया था । जिला नीलाम-पत्र पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2022 को पारित आदेश में सासामुसा चीनी मिल प्रबंधन को दिनांक 31 जुलाई, 2022 तक सम्पूर्ण बकायों का सूद सहित भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन सासामुसा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा नहीं करने के फलस्वरूप सासामुसा चीनी मिल प्रबंधन के विरुद्ध वारंट निर्गत है ।

सासामुसा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बैंकों से भी ऋण लिया गया है । सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने ऋण राशि मो0 68,35,04,916.00 रुपये की रिकवरी हेतु Debts Recovery Tribunal, Patna में (OA of 2021 with IA of 2021, Central Bank of India Vs. M/S Sasamusa Sugar Works Pvt. Ltd. & Ors.) वाद दायर किया गया है, जो सुनवाई की प्रक्रिया में है । गन्ना किसानों के बकाये ईख मूल्य का भुगतान कराने के मद्देनजर विभाग द्वारा भी इस मामले में Interver बनकर DRT, पटना में Intervention Application दायर किया गया है ।

मेसर्स सासामुसा सुगर वर्क्स प्रा0 लि0, सासामुसा, गोपालगंज से संबंधित मामला वर्तमान में NCLT कोलकाता बेन्च में The Insolvency Bankruptcy Code, 2016 (Code) के तहत C.P. (IB) No. 157/KB/2021, (Central Bank of India Vs. M/S Sasamusa Sugar Works Pvt. Ltd. & Ors.) दिनांक 17 नवम्बर, 2022 वाद दायर है । विभाग द्वारा मेसर्स सासामुसा सुगर वर्क्स प्रा0 लि0 के IRP श्री सचिन गोपाल जठार को विहित प्रपत्र में गन्ना कृषकों के बकाये ईख मूल्य एवं अन्य बकायों का Claim Petition समर्पित कर दिया गया है । विधि विभाग द्वारा NCLT कोलकाता बेन्च में गन्ना कृषकों का पक्ष रखने हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, कोलकाता उच्च न्यायालय को नियुक्त किया गया है ।

वर्तमान में सासामुसा चीनी मिल परिक्षेत्र के गन्ने का सामयिक खपत हेतु पड़ोस की चीनी मिलें यथा विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज एवं भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया द्वारा गन्ने के उठाव सुनिश्चित किया जा रहा है एवं कृषकों को चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भी भुगतान भी किया जा रहा है ।

यदि सासामुसा चीन मिल प्रबंधन द्वारा NCLT कोलकाता बेन्च में प्रक्रियाधीन मामले के तहत गन्ना कृषकों का पूर्ववर्ती बकायों एवं अन्य बकायों का भुगतान कर मिल का परिचालन करती है तो सरकार द्वारा मिल के पुनः परिचालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान की जायेगी ।

जनगणना सूची में सम्मिलित करना

*2549. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के साथ-साथ बिहार राज्य के अन्य जिलों में जाति आधारित जनगणना में शेखड़ा जाति का जाति कोड नहीं रहने के कारण शेखड़ा जाति की जनगणना नहीं हो पाई है, जिसके कारण शेखड़ा जाति के लाखों लोग जनगणना सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जाति को जाति कोड आवंटित करते हुये जनगणना सूची में सम्मिलित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'अ'-कृषि विभाग से गन्ना उद्योग विभाग में स्थानान्तरित ।

मुकदमे वापस लेना

*2550. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे बिहार प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर पटना के दानापुर थाना के थाना कांड संख्या 562/22, अरवल जिला के करपी थाना में थाना कांड संख्या 135/22 सहित अन्य थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसके कारण लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण कराना

*2551. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत के श्री राम जानकी मठ, कोन्हीया की चहारदीवारी नहीं होने के कारण मठ की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मठ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*2552. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज बस स्टैंड में प्रतिदिन यातायात में जाम की स्थिति रहती है, जिसके कारण सही ढंग से यातायात का परिचालन नहीं हो रहा है और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर जाम और दुर्घटनाओं से निजात दिलाने हेतु ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान के संबंध में

*2553. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला ईख पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा मगध सुगर एंड एनर्जी लिमिटेड इकाई, भारत सुगर मिल्स सिधवलिया पर पेराई वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में किसानों के गन्ना प्रभेद अंतर राशि की सूद सहित वसूली संबंधी निलामी-पत्र वाद संख्या 07/20-21 सरकार बनाम उक्त मिल पर चलाया गया, लेकिन मिल मालिक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-17251/21 दायर किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक 2 अप्रील, 2022 को जिला ईख पदाधिकारी, गोपालगंज के निलामी वाद को पुनः निष्पादन करने का आदेश दिया गया है जिसमें सुनवाई के बाद उक्त मिल पर बीओ 150 को सामान्य प्रभेद कराते हुए दो करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार चौबीस रु0 भुगतान का आदेश दिनांक 18 अप्रील, 2022 को दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मिल द्वारा बकाया भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय निर्धारण

*2554. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना द्वारा संविदा पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलाजी असिस्टेंट (आई0टी0, सहायकों) की नियुक्ति की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आई0टी0, सहायक बी-टेक रहते हैं, परंतु उनका मानदेय चतुर्थ वर्गीय कर्मी के वेतन से भी कम है ;

(3) यदि हाँ, तो क्या सरकार आई0टी0, सहायकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप मानदेय निर्धारण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों का पद जिला, अनुमण्डल तथा प्रखण्ड स्तर पर सृजित है। इनका नियोजन जिलास्तरीय पैनल से संबंधित जिला चयन समिति द्वारा किया गया है ।

(2) अस्वीकारात्मक है। प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आई0टी0 अथवा कम्प्यूटर के क्षेत्र में न्यूनतम स्नातक की उपाधि होनी चाहिए ।

रिक्त पदों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों निर्गत उपाधि को नियमानुसार प्राथमिकता का प्रावधान है :--

(क) I.T अथवा कम्प्यूटर शाखा में अभियंत्रण स्नातक की उपाधि,

(ख) M.C.A./M.Sc. (I.T/Computer)

(ग) B.C.A./B.Sc. (I.T/Computer)

(घ) समान स्थिति होने पर उच्चतर प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जायेगी ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आई0 टी0 अथवा कम्प्यूटर के क्षेत्र में न्यूनतम स्नातक की उपाधि है ।

यह उल्लेखनीय है कि प्रखंड प्रौद्योगिकी सहायक का पद संविदात्मक पद है। इनके मानदेय का निर्धारण सक्षम प्राधिकार द्वारा किया गया है। 01 जुलाई, 2018 के प्रभाव से इनका निर्धारित वर्तमान में कुल मानदेय रुपये 29564.00 है, जिसमें इनके मूल मानदेय पर प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि का प्रावधान है। पाँच वर्ष से अधिक सेवा वाले प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों को 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से 3000.00 विशेष भत्ता का दिनांक 01 जनवरी, 2023 से प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति में प्रखंड प्रौद्योगिकी सहायकों को कुल मानदेय वर्तमान में रुपये 32564.00 प्रतिमाह है।

प्रखंड प्रौद्योगिकी सहायक की पद संविदात्मक पद है, जिसकी तुलना में चतुर्थ वर्गीय कर्मी से किया जाना समीचीन नहीं होगा ।

(3) उपर्युक्त खंड (2) में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

भवन निर्माण कराना

*2555. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विभाजन के बाद गृह रक्षक वाहिनी के केवल 2 बटालियन आनंदपुर बिहटा एवं भागलपुर में बचे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर में स्वीकृत बटालियन की संख्या लगभग 900 है, लेकिन जिला, प्रमंडल, बटालियन के कार्यालय, परेड ग्राउंड, स्टाफ क्वार्टर हेतु जमीन एवं भवन की सुविधा नहीं रहने के कारण भागलपुर में बहाली नहीं होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गृह रक्षक वाहिनी के उक्त कार्यालय, परेड ग्राउंड इत्यादि के लिए जमीन मुहैया कराकर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सजा से मुक्त करना

*2556. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आजीवन सजावार बंदी जिनका आचरण सही रहता है, उन्हें तीन से 14 वर्षों के बाद रिहा करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सजावार बंदी श्री शिवनाथ यादव, पिता-स्व0 सौखी यादव, उम्र-78 वर्ष ग्राम-फोरसाहा, थाना-सौर बाजार, जिला-सहरसा एवं अन्य कैदी बिहार राज्य में 14 वर्षों से अधिक समय से जेल में हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आजीवन सजावार बंदी को उनके सही आचरण को देखते हुए सजा से मुक्त कर रिहा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पे रोल मैनेजमेंट

*2557. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन द्वारा 1997 से लागातार आई0टी0 कर्मियों की सेवा विभिन्न विभागों में ली जा रही है, लेकिन सेवा देते समय बाह्य सेवा प्रदाता (Third Party Agency) के माध्यम से सेवा दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन निगम के माध्य से विभिन्न विभागों में नियुक्त आई0टी0 कर्मियों का पे रोल मैनेजमेंट यथा सेवा उपलब्ध हेतु बाह्य सेवा प्रदाता (Third Party Agency) से करवाया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाह्य सेवा प्रदाता (Third Party Agency) को हटाते हुए आई0टी0 कर्मियों को पे रोल मैनेटमेंट बेल्ट्रॉन का अधियाची नोडल विभाग से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ऋण वसूली नहीं करना

*2558. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के प्रखण्ड काराकाट के देव में अवस्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में बालकेशी देवी, गुलाबो देवी एवं अन्य पेंशनधारियों के पेंशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि से लोन वसूली के नाम पर राशि काट ली जाती है, जिससे पेंशनधारियों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पेंशनधारियों के ऋण को माफ करने व पेंशन की राशि से ऋण वसूली नहीं करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बालकेशी देवी एवं गुलाबो देवी के खाता में वृद्धावस्था पेंशन की राशि आती है तथा इन खाताओं से किसी प्रकार की ऋण राशि का समायोजन नहीं किया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिला के काराकाट प्रखंड अन्तर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की किसी भी शाखा में किसी भी लाभुक के पैसे को ऋण खाते में समायोजित करने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*2559. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अन्तर्गत सारंगपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड नं० 3 तथा चकपहाड़ पंचायत के कमतोल ग्राम में कब्रिस्तान अवस्थित है जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं और असामाजिक तत्वों का आवागमन होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2560. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत चनपटिया प्रखंड के सिरिसिया पंचायत में अवस्थित पौराणिक एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर के प्रांगण की चहारदीवारी नहीं होने के कारण मंदिर की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है और मंदिर परिसर में जानवरों का आना-जाना लगा रहता है, जिससे श्रावणी मेला एवं महाशिवरात्रि के समय श्रद्धालुओं को कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत चनपटिया प्रखंड के बेतिया डीह पंचायत के खैरटिया में ऐतिहासिक बेतिया राज के समय से शिव मंदिर अवस्थित है, परन्तु मंदिर का चहारदीवारी नहीं होने के कारण जमीन का अतिक्रमण हो रहा है तथा त्योहारों के समय आयोजनों में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों मंदिरों के परिसर की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल लगाना

*2561. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एकमात्र बड़ी औद्योगिक इकाई रैयाम चीनी मिल वर्ष 1994-1995 से रूग्ण होकर बंद है, जिस कारण दरभंगा एवं मधुबनी जिला के लगभग लाखों किसान परिवार के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति आ गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य चीनी निगम की बंद पड़ी चीनी मिल को श्री तिरहुत इंडस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में स्थापित करने हेतु लीज पर दिनांक 13 अप्रील, 2010 को दिया गया, लेकिन अबतक तीन लीगल नोटिस दिये जाने के बाद भी निवेशक द्वारा चीनी मिल स्थापित नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निवेशक पर कार्रवाई करते हुये उक्त जगह पर चीनी मिल लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2562. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत फतेहनगर पंचायत में महुअर वार्ड संख्या 8 में वर्ष 2007 में कब्रिस्तान की की गई घेराबंदी के पश्चात् मरम्मती का कार्य जनवरी, 2023 से चल रहा है, किन्तु मरम्मती कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीका से नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का जीर्णोद्धार करना

*2563. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत मोतिहारी में स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास, छतौनी, जीर्ण-शीर्ण होने एवं उसका मासिक किराया लगभग 1500 रु० प्रति माह होने के कारण यहाँ विद्यार्थी नहीं रह पाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त छात्रावास का जीर्णोद्धार कराते हुये छात्रावास शुल्क में कमी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2564. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत बौंसी प्रखण्ड के नगर पंचायत, बौंसी के वार्ड नंम्बर 19 मुस्लिम टोला में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से बाहरी लोगों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक दर्ज नहीं किये जाने का औचित्य

*2565. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर के वार्ड नं० 5 इमामवाड़ा स्थित एयरटेल मोबाईल टावर का बी०टी०एस० पावर कार्ड दिनांक 22 फरवरी, 2023 के रात में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसके आलोक में एयरटेल में नियुक्त टेक्नीशियन श्री अमरेश कुमार, पिता-श्याम नारायण सिंह द्वारा स्थानीय थाना दाउदनगर में प्राथमिकी दर्ज कर लिखित सूचना थानाध्यक्ष को दिया गया, परंतु अभीतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, यदि हाँ, तो उक्त मामले का प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*2566. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बोखड़ा में ग्राम-बनौल 2500 फिट वाला कब्रिस्तान एवं ग्राम बलुआहा कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2567. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के पंचायत बखरी के ग्राम बखरी टोला में अबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विश्राम गृह का निर्माण करवाना

*2568. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा अनुमंडल में अनुमंडल स्तर के कार्यालय है किन्तु माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के लिये ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि जिला मुख्यालय की दूरी 30 कि० मी० है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में विश्राम गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--प्रश्न का प्रथम खंड स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला मुख्यालय में

जिला अतिथि गृह/परिसदन की व्यवस्था होती है । अनुमंडल या प्रखंड/अंचल स्तर पर अतिथि गृह/परिसदन के निर्माण की व्यवस्था नहीं है । सारण जिला मुख्यालय में जिला अतिथि गृह अवस्थित है । सारण जिला के मढ़ौरा अनुमंडल में अतिथि गृह/परिसदन निर्माण का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2569. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के डगरूआ प्रखंड के ग्राम-अमना में कब्रिस्तान भाग 1 एवं भाग (2) की घेराबंदी नहीं होने से दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी की स्थायी नियुक्ति

*2570. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला मुख्यालय में जिला सूचना पदाधिकारी का एक पद स्वीकृत है, किन्तु इस पद पर किसी पदाधिकारी की स्थायी नियुक्ति नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खगड़िया जिला मुख्यालय में सूचना पदाधिकारी की स्थायी नियुक्ति करने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2571. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर के पंचायत मदनपुर के ग्राम दशवतखाप में कब्रिस्तान अवस्थित है जिसका खाता नं० 176 प्लाट नं० 1103, रकबा 1.57 एकड़ तथा मौजा दशवतखाप थाना नं० 784 है एवं दशवतखाप कब्रिस्तान का टेंडर मई, 2022 में हुआ है, परन्तु राशि उपलब्ध होने के बावजूद अभीतक घेराबंदी का काम शुरू नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण करना

*2572. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान एवं मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार के पत्रांक 881, दिनांक 3 जून, 2009 की कंडिका 3 के आलोक में राज्य संवर्ग/जिला संवर्ग के सभी विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का तीन वर्ष से अधिक सेवा होने पर स्थानान्तरण एवं कंडिका 2 में गृह जिला में पदस्थापन नहीं करने का प्रावधान बनाया गया है, किन्तु सोनपुर एवं दिघवारा प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी तीन वर्षों से अधिक एक ही जगह एवं गृह जिले में पदस्थापित हैं, उदाहरणार्थ सोनपुर प्रखंड मुख्यालय में श्री सुशील कुमार सिंह, घर-सोनपुर प्रखंड मुख्यालय के बगल सहपाईच में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तीन वर्ष पूरा होने के उपरान्त एवं गृह जिला में पदस्थापित कर्मियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति हेतु कार्रवाई करना

'क'-*2573. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में लोकायुक्त के सभी पद दो वर्षों से रिक्त हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि लोकायुक्त के कार्यरत नहीं रहने के कारण हजारों की संख्या में वर्षों से परिवाद लम्बित है और वर्तमान में राज्य की जनता अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करा पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में लोकायुक्तों के पदों पर नियुक्ति हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*2574. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड अन्तर्गत नवीनगर नगर पंचायत के वार्ड नम्बर 11, रामपुर में तथा नगर पंचायत, नवीनगर के जनकपुर पोखरा के समीप अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने से आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आवागमन होता है, जिससे नागरिकों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला थाना खोलवाना

*2575. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण के मधुबनी एवं भिताहाँ प्रखंड में महिला थाना नहीं है, जबकि बगहा पुलिस जिला के अन्तर्गत महिला थाना बगहा में स्थित है, उक्त दोनों प्रखंडों से बगहा महिला थाना की दूरी 70 किलो मीटर है, जिसके कारण उक्त प्रखंडों की महिलाओं को एफ0आई0आर0 एवं सुरक्षा से संबंधित कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार मधुबनी एवं भिताहाँ में महिला थाना कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-विधि विभाग के ज्ञापांक 2292, दिनांक 20 मार्च, 2023 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानान्तरित ।

कार्रवाई करना

*2576. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद थानान्तर्गत कमरूद्दीन टोला के सद्दाम हक, पिता-समशूल हक की लाश पेड़ में लटके पाये जाने के संबंध में अमदाबाद थाना में अप्राकृतिक कांड संख्या 03/2023 दर्ज है, जबकि मृतक के पिता ने मुन्नी देवी, मनोज ताँती, फूल कुमार ताँती इत्यादि ग्राम-ताँती टोला, गोविन्दपुर के विरुद्ध हत्या करने का आरोप लगाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड का अनुसंधान कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*2577. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया प्रखंड में अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के बेहतर शैक्षणिक सुविधा के लिये अल्पसंख्यक महिला छात्रावास स्थापित नहीं रहने से उन्हें बेहतर शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यक महिला छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गुड़ एवं खांडसारी उद्योग नीति बनाया जाना

*2578. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गुड़ उत्पादन सहित खांडसारी उद्योग गन्ना उत्पादक कृषकों के लिये लाभकारी एवं रोजगार सृजन का बेहतर विकल्प है, किन्तु इस उद्योग के लगाने हेतु कोई नीति अथवा कार्य योजना नहीं रहने से छोटे उद्यमी एवं गन्ना कृषक के समक्ष समस्याएँ आ रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक गुड़ एवं खांडसारी उद्योग विकसित करने हेतु गुड़ एवं खांडसारी उद्योग नीति एवं कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 खोलना

*2579. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला ईशुआपुर प्रखंड अन्तर्गत राज्य उच्च पथ 73 (एस0एच0 73), छपीया महात्मा गाँधी स्मारक के पास ओ0 पी0 नहीं रहने के विगत 15 वर्षों से आपराधिक घटनाएँ होती रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान में ओ0 पी0 खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*2580. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र में उद्योग एवं मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे क्षेत्र के बेरोजगार युवक राज्य के बाहर दिल्ली एवं पंजाब पलायन करते हैं, जबकि केन्द्र सरकार की सनराइजर्स रैंकिंग इमर्जिंग स्टार्टअप इको सिस्टम की श्रेणी ए में बिहार को सबसे ऊपर रखा गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार स्टार्टअप के इस दौर में नये उद्यमियों को सिंगल विंडो व्यवस्था का लाभ देते हुये अररिया जिला में मक्का एवं जूट आधारित उद्योग का स्टार्टअप लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2581. डॉ0 सी0एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के काशी बाजार से ब्रह्मपुर पुल तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त रहने के कारण प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण स्कूल बस, एम्बुलेंस और पुलिस वाहन भी फंसे रहते हैं और घंटो इंतजार करने के बाद ही छात्र-छात्रा स्कूल एवं रोगी अस्पताल में पहुंचते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर जाम से मुक्ति हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय राशि को अद्यतन करना

*2582. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अधीन सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में कार्यरत संविदाकर्मी कार्यपालक सहायक को दो वर्गों में रखते हुए मानदेय निर्धारण किया गया है जो सोसाईटी के आदेश ज्ञापांक-योजना-02/2012 (खंड-2) सो0 488, दिनांक 7 मार्च, 2019 के तहत अबतक प्रभावी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक सहायकों को 4 वर्ष पूर्व मार्च 2019 में निर्धारित मानदेय का भुगतान वर्तमान समय में किया जा रहा है और इस बीच महंगाई दर में हुए गुणात्मक वृद्धि का लाभ कार्यपालक सहायकों को मानदेय राशि में नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महंगाई दर में वृद्धि के अनुरूप कार्यपालक सहायकों के मानदेय राशि को अद्यतन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2583. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, किशनगंज के प्रेस ज्ञापांक 81, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा पुलिस कर्मी की वायरल आडियो-विडियो पर पुलिस उपाधीक्षक मु0 किशनगंज के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जाँच टीम गठन का पत्र निकाला गया था, परन्तु वायरल विडियों की जांच, जांच कमिटी द्वारा नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वायरल आडियो-विडियो की जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हवाई अड्डा विकसित करना

*2584. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय में मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में हवाई अड्डा के रूप में चिन्हित लगभग 50 एकड़ जमीन जहाँ पूर्व में छोटे विमान यहाँ उतरते थे, का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार हवाई अड्डा के लिए चिन्हित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए हवाई अड्डा विकसित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2585. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड राजपुर के धनसोई थाना में महिला सुरक्षा कर्मी के लिए बैरक एवं थाना की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखंड राजपुर के धनसोई थाना में महिला सुरक्षा कर्मी के लिए बैरक एवं थाना की चहारदीवारी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला थाना खोलवाना

*2586. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण के पिपरासी एवं ठकराहाँ प्रखण्ड में महिला थाना नहीं है, जबकि बगहा पुलिस जिला के अन्तर्गत महिला थाना बगहा में स्थित है, उक्त दोनों प्रखण्डों से बगहा महिला थाना की दूरी 70 कि0मी0 है, जिसके कारण उक्त दोनों प्रखंडों की महिलाओं को एफ0आई0आर0 एवं सुरक्षा से संबंधित कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार पिपरासी एवं ठकराहाँ में महिला थाना कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2587. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरारू प्रखण्ड में अवस्थित वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल कारखाना में लगे उपकरण का विगत छः माह पूर्व से विभागीय स्तर पर विक्रय हेतु निविदा निकाली गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कारखानों में पूर्व से लगे कल-पूर्जे में लोहा, तांबा एवं चांदी का उपकरण लगा हुआ था ;

(3) क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों की मिलीभगत के कारण विक्रय में सिर्फ लोहा की सामग्री दिखाया गया है जबकि चांदी एवं तावां का कागज पर कहीं भी जिक्र न होने से बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने में राजस्व की क्षति हो सकती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराते हुए राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विमान सेवा उपलब्ध कराना

*2588. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सुअरा हवाई अड्डा बंद है ;

(2) क्य यह बात सही है कि सुअरा के पूरब दिशा में डेहरी ऑन-सोन एवं पश्चिम तरफ जमुहार मेडिकल अस्पताल तथा जिला मुख्यालय अवस्थित है जहाँ व्यवसायिक स्थान के साथ इलाज के लिए बड़े-बड़े अस्पताल भी मौजुद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सुअरा हवाई अड्डा को विस्तारित कर आकस्मिक एयर एम्बुलेंस सेवा सहित, पटना, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का पूर्ण भुगतान

*2589. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, वित्त, विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इण्डिया नन बैंकिंग कम्पनी, बड़हिया शाखा, लखीसराय में श्रीमती रेखा देवी द्वारा खाता संख्या 25056406897, 25056406898 एवं 25056406899, अनीसाबाद शाखा, पटना में श्री लाल बिहारी साव द्वारा खाता संख्या 63567401391, न्यू मार्केट शाखा, पटना में श्री सतेन्द्र साव द्वारा खाता संख्या 20425601479 तथा अन्य निवेशकों द्वारा राशि निवेश किया गया है, परन्तु उक्त खाताधारियों के परिपक्वता अवधि दिसम्बर 2021 में पूर्ण होने के उपरांत कई बार डिमांड करने के बावजूद भी कंपनी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाताधारियों द्वारा निवेश की गई राशि का पूर्ण भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2590. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं० 23 के मोहल्ला वाजितपुर पठान टोली स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण कई तरह की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास बनाना

*2591. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड इटाढ़ी के थाना इटाढ़ी में महिला सुरक्षा कर्मी के लिये बैरक तथा थाना के पदा०/कर्मचारियों के लिये आवास नहीं रहने के कारण काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना इटाढ़ी में महिला सुरक्षा कर्मी के लिये बैरक एवं थाना के पदा०/कर्मचारियों के लिये आवास बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2592. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा 9272 कब्रिस्तानों में से अबतक 7647 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 1625 कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन अतिक्रमित हो रही है और अनावश्यक विवाद होते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष 1625 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*2593. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड के चिन्तामनपुर पंचायत अन्तर्गत जटहा मठ की लगभग 3 एकड़ जमीन चहारदीवारी नहीं होने के कारण अतिक्रमित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मठ के जमीन की पैमाईश करवाकर चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि गृह का निर्माण

*2594. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड अन्तर्गत प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, परन्तु वहां के एकमात्र अतिथि गृह का उपयोग विवाह उत्सव एवं अन्य समारोह हेतु किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को ठहरने में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अतिथि गृह को विवाह उत्सव एवं अन्य समारोह के प्रयोजन से मुक्त कराते हुये एक अन्य अतिथि गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*2595. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 19 हजार रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता है, जबकि शहरी आबादी पर 1 लाख 40 हजार रुपये प्रति व्यक्ति खर्च

किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में शहरी क्षेत्रों के आबादी पर प्रति व्यक्ति खर्च के बराबर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खर्च करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडलीय कारा का निर्माण

*2596. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बखरी अनुमंडल की स्थापना वर्ष 1994 में ही हुयी थी, किन्तु स्थापना के 29 वर्षों बाद भी आजतक अनुमंडलीय कारा का निर्माण नहीं हुआ हैं, यदि हाँ, तो सरकार बखरी अनुमंडल में कारा का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षित एवं जागरूक करना

*2597. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र स्तर पर सूचना एवं जन-संपर्क विभाग द्वारा सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं यथा सात निश्चय, नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम, जल-जीवन हरियाली तथा अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का होल्डिंग फ्लेक्स, ऑडियो विजुअल, जागरूकता रथ, नुक्कड़ नाटक समेत विभिन्न माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार नहीं किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विशेष प्रचार अभियान चलाकर लोगों को ऊपर वर्णित योजनाओं के विषय में जागरूक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा देना

*2598. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 57 जेलों में समुचित चौकसी हेतु नाईट विजन कैमरे, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षायक उपकरण, उच्च क्षमता के स्कैनर, सभी तरह के फोन कॉल ब्लॉक करने की प्रणाली के लिये विशेष तरह के टावर लगाने तथा बंदियों को परिजनों से निर्धारित समयावधि में बात कराने के लिये लैंड लाइन फोन की सुविधा आदि देने की योजना है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सभी प्रमुख 57 जेलों में प्रस्तावित कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*2599. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार वेब मिडिया रूल्स 2021 में चारों श्रेणियों में विज्ञापन का दर टी०वी० एवं अखबार के विज्ञापन रेट का 10 फीसदी भी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अखबारों में सिर्फ रीडर से कैटेगरी तय होती है, जबकि डिजिटल मीडिया में यूनिक व्यूज से, जिसके कारण दर्शक यदि एक से अधिक बार देखते हैं तो उनकी गणना नहीं हो पाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि डिजिटल नीति सिर्फ पोर्टल के लिये मान्य है, जबकि उसी पोर्टल का यदि यू-ट्यूब चैनेल भी है तो इसके लिये इसमें प्रावधान नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डिजिटल पोर्टल के साथ उनके यू-ट्यूब एवं अन्य सोशल मिडिया चैनेल के लिये कैटेगरी बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2600. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रफीगंज के पंचायत अरथुआ के ग्राम-दूदूआ में कब्रिस्तान अवस्थित है जिसका थाना नं० 737, खाता नं० 48, खेसरा नं० 482 एवं रकबा 2.55 एकड़ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दूदूआ कब्रिस्तान की घेराबंदी का टेंडर मई, 2022 में हुआ है, परन्तु राशि उपलब्ध रहने के बावजूद अभीतक घेराबंदी नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समस्याओं के समाधान

*2601. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गन्ना किसानों के हित के लिये गठित क्षेत्रीय विकास परिषद् की राशि में लगातार कमी करते हुये चीनी मिलों के हित में उसे 1.8 प्रतिशत से घटाकर मात्र 0.20 प्रतिशत कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना किसानों के हित में चार वर्षों से जमा क्षेत्रीय विकास परिषद् की राशि खर्च नहीं की गयी है, जबकि चीनी मिलों के रिजर्व एरिया के किसानों के गन्ना ढुलाई के लिये सरेह में छोटी पुल-पुलिया, रास्तों से लेकर ट्रैक्टर टॉली ड्राइवरों के शेड आदि की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गन्ना किसानों की उक्त समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्रीय विकास परिषद् की राशि को बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2602. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अंतर्गत गोरेयाकोठी थाना के प्रशिक्षु दरोगा श्री संजीव कुमार मेहता द्वारा श्री रविन्द्र प्रकाश, पिता-स्व० त्रिभुवन सिंह, ग्राम+पो०+थाना-गोरेयाकोठी, जिला-सीवान के साथ अकारण 22 नवम्बर, 2022 को अभद्र व्यवहार एवं गाली-गलौज करने पर उनके विरुद्ध गोरेयाकोठी थाने में 22 नवम्बर, 2022 को पुलिस अधीक्षक, सीवान के यहां 23 नवम्बर, 2022 को एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण के पास 24 नवम्बर, 2022 को कार्रवाई हेतु शिकायत की गई थी, किन्तु अभीतक इसके संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के दरोगा के विरुद्ध कबतक कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारखाना लगाना

*2603. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग एवं कल-कारखाने लगाने की योजना है, किन्तु शेखपुरा में सरकार के द्वारा किसी प्रकार का उद्योग एवं कारखाने नहीं लगाया गया है, जबकि इस जिले में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शेखपुरा जिला में चावल आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नारनौलिया जाति सूची में अधिसूचित कराना

*2604. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पिछड़े वैश्य जाति में एक उपजाति नारनौलिया भी है जिसकी आबादी लगभग 8000 (आठ हजार) है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जाति का नाम बिहार सरकार की जाति सूची में शामिल नहीं रहने के कारण उन्हें जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नारनौलिया जाति को जाति सूची में अधिसूचित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) एतद् संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि नारनौलिया जाति राज्य की किसी सूची में सूचीबद्ध नहीं है । वैसी जातियाँ, जो राज्य की किसी आरक्षित वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं होती है, उन्हें गैर-आरक्षित जातियों के अधीन माना जाता है तथा इसका कोई सूची नहीं है । सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं० 5444, दिनांक 2 जून, 2021 के प्रावधानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये प्रकाशित सूची के अतिरिक्त बिहार राज्य की अन्य सभी जातियों को गैर-आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत मानते हुये इन जातियों के अभ्यर्थियों को उनकी संगत जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है ।

(3) प्रश्न संख्या (2) के उत्तर के स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2605. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखंड बोखड़ा में ग्राम-बुधनरा कब्रिस्तान एवं ग्राम-नयाटोल कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोत्साहित करना

*2606. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला में बुनकरों की स्थिति दयनीय होने के बावजूद एक बुनकर ने बिना किसी सरकारी सहायता अथवा प्रोत्साहन के बावनबुटी कला के आधार पर पद्मश्री प्राप्त किया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिला में बुनकरों की कला को प्रोत्साहित करने के लिये समुचित सहायता कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार रखना

*2607. श्री केदार नाथ सिंह (क्षेत्र संख्या-115 बनियापुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के ग्राम+पो०-राजनडीह के मौजा-राजनडीह, थाना-डिहरी, थाना नं० 13, तौजी 5779, खाता-192, खेसरा 323, रकबा 8.30 एकड़ का नकल आवेदन संख्या 7061, दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 को निर्गत किया गया था तथा उक्त जमीन का नकल पुनः दिनांक 29 जून, 2013 को निकाला गया जो वर्ष 2012 में निर्गत नकल से भिन्न था जिसपर तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, भोजपुर (आरा) के पत्रांक 15/अभि०, दिनांक 16 फरवरी, 2018 द्वारा वर्ष 2013 में निर्गत नकल को गलत पाते हुये भिन्न स्याही से मूल अभिलेख में छेड़-छाड़ के लिये दोषी प्रधान लिपिक पर कार्रवाई करने के साथ दिनांक 29 जून, 2013 को निर्गत नकल को खारिज करने की अनुशंसा की गई थी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मामले की जांचकर दोषियों पर कार्रवाई कर वर्ष 2013 में निर्गत नकल को खारिज कर जमीन के असली वारिस को कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2608. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत अंचल कल्याणपुर भुवन छपरा पंचायत के मधुचाई ग्राम में अवस्थित एक कब्रिस्तान की जमीन का ब्योरा निम्नलिखित है--(क) खाता 56, खेसरा 2582, रकबा 2 कट्ठा 19 धूर, खाता 143 खेसरा 2581, रकबा 1 कट्ठा, (ख) खाता 143 खेसरा 2581 रकबा 2 कट्ठा, खाता-206, खेसरा 2656, रकबा 25 डिसमिल (ग) खात 06, खेसरा 2593, रकबा 2 कट्ठा लगभग 11 कट्ठा से अधिक है, परन्तु कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण इसकी जमीन का अतिक्रमण होना शुरू हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लोन देना

*2609. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के दिनेश सादा, ग्राम-बथनाहा, विजय सादा, ग्राम-सिंघपुर एवं अन्य महादलित परिवार के युवकों को उद्योग विभाग के द्वारा लोन नहीं दिये जाने के कारण प्रखंड के महादलित परिवार एवं अन्य बेरोजगारी एवं भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में सर्वे कराकर उद्योग लोन देने की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिबंध लगाना

*2610. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत बीरचंद पटेल पथ, कोतवाली थाना के ईस्ट गार्डन रोड में शाम ढलते ही सरकारी आवास में रहने वाले लोगों में डर एवं भय व्याप्त होने के कारण वे बाहर निकलने में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि वहां पर अवैध शराब, गांजा, जुआ और स्मैक का धड़ल्ले से उपयोग होता है जिस संबंध में फरवरी, 2022, दिसम्बर, 2022 एवं जनवरी, 2023 में स्थानीय थाने में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर अपराधियों को पकड़ने एवं अवैध पार्किंग पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना बनाना

*2611. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के प्रखण्ड गोगरी अवस्थित पसराहा थाना वर्ष 1978 में बना है, जो आदर्श मॉडल थाना की सारी शर्तों को पूरा करता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पसराहा थाना भवन/आवासीय भवन के निर्माण हेतु मौजा-सोण्डीहा, थाना नं० 336, खाता नं० 164, 188, 146, 160, खेसरा नं० 151, 152, 153, 154, 157 कुल 1 एकड़ 27 डिसमिल जमीन भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वर्णित स्थान पर पसराहा थाना को आर्दश मॉडल थाना कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों एवं कर्बला की घेराबंदी

*2612. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी प्रखण्ड अन्तर्गत नगर परिषद् शाहपुर पटोरी के वार्ड नं० 21 में कवि चौक व्यवहार न्यायालय के बगल में कब्रिस्तान और कर्बला स्थित है तथा वार्ड नं० 21 में ही गुलाब राय, बुबना उच्च विद्यालय के बगल में भी कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कब्रिस्तानों एवं कर्बला की घेराबंदी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं और असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है जिससे नागरिकों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों एवं कर्बला की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 27 मार्च, 2023 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 106 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी० -550